

204

संख्या: — /VII-2/47-एम0एस0एम0ई0/2016

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 24 जुलाई, 2016

विषय:- रेशा खरीद हेतु अनुदान योजना की गाइडलाईन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों के अधिकतर क्षेत्रों में प्राकृतिक रेशा जैसे डॉस कंडाली, भीमल एवं रामबॉस का अधिक उत्पादन होता है। इन रेशो का प्रयोग स्थानीय स्तर पर काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। इन प्राकृतिक रेशों से निर्मित उत्पादों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन के सम्यक् विचारोंपरान्त "रेशा खरीद हेतु अनुदान योजना" प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजना की गाइडलाईन्स निम्नवत हैं:-

### "रेशा खरीद हेतु अनुदान"

#### योजना का मुख्य उद्देश्य:-

राज्य के ग्रामीण आंचलो में प्राकृतिक रेशो पर आधारित पारम्परिक कास्तकारो (दस्तकारी) को संरक्षित कर विकास करना तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर मूल्यवर्धन करते हुए कारीगरों को लाभ देकर प्रोत्साहित करना। प्राकृतिक रेशो का मूल्य निर्धारण न होने के कारण स्थानीय कास्तकारों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा रेशो से तैयार होने वाले उत्पाद विलुप्त हो रहे हैं। इस प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक रेशों का दर निर्धारण कर स्थानीय कास्तकारों से रेशा क्रय कर उसका भण्डारण किया जायेगा। प्राकृतिक रेशों के उत्पाद तैयार करने वाले सरकारी, गैरसरकारी, व्यक्तिगत उद्यमी आदि को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान पर खुली निविदा के माध्यम से विक्रय किया जायेगा ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

#### दर निर्धारण समिति:-

रेशा के दर निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग के शासनादेश संख्या:-3611/X-2-2009-11(1)/2009 देहरादून दिनांक 25 नवम्बर 2009 के द्वारा 07 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति प्राकृतिक रेशो की उपलब्धता, गुणवत्ता

In Topal  
d. 2/1/16  
कार्यवाही करें।

J.C.E.O. 14/9/16  
Jt.C.E.O.  
UKVIB

AC.E.O.

2.

920  
14/09/16

DEHRADUN  
Dy. No. 23/49  
23/7/16

आदि मानको के आधार इनकी दरों का निर्धारण करेगी। उक्त दरे शासन के दिशा निर्देशा के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तनीय होंगें।

3. रेशा कय/बिकय हेतु चयनित स्थान:-

प्राकृतिक रेशा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ विभाग क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन के माध्यम से विभिन्न केन्द्रों पर कय किया जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर कास्तकारों द्वारा एकत्रित किये गये प्राकृतिक रेशे के रखरखाव हेतु विभिन्न समूहों में से एक व्यक्ति का चयन किया जायेगा, जो क्षेत्र में प्राकृतिक रेशों का भण्डारण करेगा। इस हेतु उन्हें निम्न प्रकार प्रति कि०ग्रा० की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदत्त की जायेगी, प्रोत्साहन राशि को कय दर में जोडा जायेगा।

क०सं०	डांस कंडाली रेशा	भीमल रेशा	रामबाँस रेशा
प्रोत्साहन राशि	रू० 4.00 प्रति किग्रा	रू० 2.00 प्रति किग्रा	रू० 4.00 प्रति किग्रा

4. रेशा कय समिति:-

निर्धारित दरो के आधार पर रेशा कय हेतु निम्नानुसार जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा। कमेटी स्थानीय कास्तकारों से प्राकृतिक रेशों का कय, उसकी गुणवत्ता के आधार पर करेगी:-

1. सम्बन्धित जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
2. सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
3. प्रभागीय वन अधिकारी (प्रतिनिधि)

प्राकृतिक रेशा कय के उपरान्त रेशे के बिकय मूल्य में रेशे के भण्डारण हेतु समिति से चयनित व्यक्ति की प्रोत्साहन राशि उसके संग्रहण पर हुए व्यय आदि को सम्मिलित करते हुए उसमें 10 प्रतिशत विभाग का लाभांश जोडकर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान पर संस्था/समितियों/एन०जी०ओ०/व्यक्तिगत उद्यमियों को खुली निविदा के माध्यम से बिकय किया जायेगा। उक्त दरें केवल उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के संग्रहण केन्द्रों पर लागू होगी।

5. विपणन व्यवस्था:-

क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग-ऊन, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, अल्मोडा /श्रीनगर/चम्बा/जसपुर केन्द्रों पर एकत्रित प्राकृतिक रेशों का भण्डारण किया जायेगा। पर्याप्त मात्रा में रेशा एकत्रित होने पर रेशा उपलब्धता को समाचार पत्रों में विज्ञापन शासकीय/विभागीय वेबसाईड के माध्यम से प्रचारित किया जायेगा। प्राकृतिक रेशे के उत्पाद तैयार करने वाले इच्छुक सरकारी विभाग, सरकारी संस्था/समितियों को रेशा बैंक के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायेगें। राज्य सरकारों के विभागों/संस्थाओं को उनकी मांग पर प्राथमिकता पर रेशा दिया जायेगा। बिक्री धनराशि को माहवार रेशा बैंक हेतु निर्धारित खाते में जमा करते हुए उसका रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कार्मिको की व्यवस्था:-

प्राकृतिक रेशा कृय हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस कार्य को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में तैनात कार्मिको द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा।

7. योजना का प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि समय से रेशे का दोहन कर उपलब्ध हो सके।
8. वार्षिक लक्ष्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।
9. उक्त योजना sunset clause के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 से 02 वर्ष हेतु प्रारम्भ की जायेगी तथा भविष्य में उक्त योजना का आंकलन करते हुए पुनः समय विस्तारीकरण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
10. ये आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 संख्या:- 293/XXVII(2)/2016 दिनांक 27 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)  
अपर सचिव।

संख्या: 1513 (1)/ VII-2/47-एम0एस0एम0ई0/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढवाल/कुँमाऊ, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

*Dhirender*

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)  
अनु सचिव।